खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

अपील वाद संख्या–13 / 2025

जिला–मधुबनी

रमणजी झा ... वादकर्ता

बनाम

समाहर्त्ता, मधुबनी एवं अन्य ... प्रतिपक्ष

आदेश

27.09.2025

A. 1. यह अपील वाद अपीलार्थी श्री रमणजी झा द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के CWJC No.-10190/2025 में दिनांक–02.07.2025 को पारित आदेश के आलोक में लाया गया है।

2. अपीलकर्त्ता ने इस अपील में समाहर्त्ता, मधुबनी के खनन अपील वाद संख्या–28 / 2025 में दिनांक–01.04.2025 के आदेश को चुनौती दी है, जिससे अपीलकर्त्ता के बिना परिवहन चालान के बालू परिवहन के कारण छः चक्का हाइड्रोलिक डम्पर वाहन संख्या–BR07GC-1770 की जप्ती एवं खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–10 / कैम्प दिनांक–22.02.2025 से अधिरोपित दण्ड राशि ₹8,42,000 / – को यथावत रखा गया है।

B. उभय पक्ष के द्वारा समर्पित तथ्य / विधि के बिन्दु :–

1. अपीलार्थी द्वारा समर्पित किया गया है कि :–

(क) गया जिला के बालूघाट से वैध परिवहन चालान से अन्य ट्रक BR01GP-2462 से बालू लाया गया, जिसके निर्माण स्थल तक नहीं पहुँचने के कारण उनके प्रश्नगत वाहन पर बालू लाद कर परिवहन किया जा रहा था।

(ख) वाहन जप्ती में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–59 के तहत Cr. PC की धारा–100 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

(ग) उनका वाहन संख्या–BR07GC-1770 छः चक्का टीपर है, जिसके लिए ₹4,00,000/– के दण्ड की देयता बनती है, किन्तु उनपर ₹8,00,000/– का दण्ड लगाया गया है।

अतः यह अपीलवाद स्वीकृत किया जाए एवं आदेश दिनांक–01.04.2025 खारिज किया जाए।

2. खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा निम्न तथ्य समर्पित किए गए:–

(क) अपीलकर्त्ता के वाहन को वैध चालान समर्पित नहीं करने के कारण जब्त किया गया। अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत चालान किन्हीं अन्य वाहन का है।

(ख) अपीलकर्त्ता का वाहन छः चक्का डम्पर है, जो हाइड्रोलिक प्रणाली से unloading का कार्य करता है, जिसे स्थानीय बोलचाल की भाषा में टीपर कहा जाता है। वाहन पर ₹8,00,000/– का शमन शुल्क ही देय होता है।

(ग) वाहन की जब्ती में प्रक्रिया का पालन किया गया है।

C. Issues for determination

1. क्या समाहर्त्ता, मधुबनी द्वारा खनन अपील वाद संख्या–28/2025 में पारित आदेश न्याय संगत है ?

2. क्या अपीलकर्त्ता के वाहन BR07EGC-1770 पर अधिरोपित दण्ड की राशि की गणना सही है ?

3. वाहन जप्ती में प्रक्रियाओं का पालन किया गया है अथवा नहीं ?

D. विवेचना :–

1. (i) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम–43 में निम्न प्रावधान है:–

*"**परिवहन पर निषेध**– कोई भी व्यक्ति कोई अयस्क/खनिज का निकलने वाले स्थान से किसी साधन द्वारा पट्टा क्षेत्र या खनिजों के एक स्टॉक से अन्य स्थान पर इस नियमावली के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रपत्र **प्रपत्र–'छ'** में या विहित प्रपत्र*

में वैध पारगमन पास/चालान/ई–चालान अपने पास रखे बिना, परिवहन नही करेगा या करवाएगा अथवा ले जाएगा।"

(ii) साथ ही बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम–56(1)(ii) में निम्न प्रावधान है :–

"कोई व्यक्ति किसी खनिज का परिवहन अथवा भंडारण बिना वैध चालान के नहीं करेगा अथवा करवायेगा। साथ ही खनिज का परिवहन अवास्तविक, अनिबंधित एवं गैर वाणिज्यिक वाहन से नहीं करेगा।"

(iii) उपरोक्त नियम से स्पष्ट है कि वैध परिवहन चालान के साथ ही खनिज का परिवहन किया जा सकता है, किन्तु अपीलकर्त्ता द्वारा बगैर चालान के बालू का परिवहन किया जा रहा था, जो बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–56(2) के तहत दण्डनीय है। अपीलकर्त्ता द्वारा कारित अपराध के लिए शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है।

2. (i) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम–56(3) में निम्न प्रावधान है:–

"जब कभी किसी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी विधिक अधिकार के, बगैर खनिज अनुदान या अन्य अनुमति के, खनिज का उठाव किये जाने की स्थिति में वहीं लाये गए मशीन, उपकरण, वाहन या अन्य सामाग्री लायेगा, उसे जिला के खनन पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी या सहायक, उप, अपर निदेशक या निदेशक खान या समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी द्वारा जप्त कर उस व्यक्ति को जिसके अधिकार में होगा, उसे जप्त कर उसे जप्त सामाग्री या खनिज की प्राप्ति रसीद देगा।

परन्तु इस नियम के अधीन जप्ति करने वाला प्रत्येक पदाधिकारी जप्त किये गए सामाग्री या खनिज को निकटतम पुलिस थाना या पुलिस चौकी को सुपूर्द करेगा।"

(ii) वर्तमान मामले में वाहन को जब्त कर स्थानीय थाना की अभिरक्षा में दिया गया है। जब्ती की रशीद वाहन मालिक / चालक को भी दी गयी है।

(iii) उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन जब्ती में प्रक्रिया / प्रावधान का पूर्ण पालन किया गया है।

3. (i) अपीलकर्त्ता के वाहन संख्या–BR07GC-1770 के प्रकार के संबंध में परिवहन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

"उल्लेखनीय है कि उक्त वाहन की विवरणी वाहन पोर्टल पर चेक करने से पाया गया कि वाहन Body Type-Tipper एवं 02 धूरी की है।

अतः बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–56(2) में निर्धारित वाहनों की श्रेणी के क्रम सं0–4 (डम्पर, हाईड्रोलिक 06 चक्का) की श्रेणी में प्रतीत होता है।"

(ii) वाहन की श्रेणी निर्धारण के लिए परिवहन विभाग ही सक्षम विभाग है एवं प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वाहन संख्या–BR07GC-1770 पर शमन शुल्क ₹8,00,000 / – ही देय होता है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में अपीलकर्त्ता के अपील में कोई मेरिट नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

ह0 / –	ह0 / –
(दिवेश सेहरा)	(दिवेश सेहरा)
सचिव–सह–खान आयुक्त,	सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,	खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।	बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ....5493.......... / एम0, दिनांकः–...... ....27/09/25

प्रतिलिपि :– निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग / समाहर्त्ता, मधुबनी / खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, मधुबनी / श्री रमनजी झा, पिता–स्व0 चन्द्रशेखर झा, ग्राम–कनकपुर, थाना–सकतपुर, जिला–दरभंगा, ईमेल–adv.abunasar@gmail.com / आई0 टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.9.2025

विशेष कार्य पदाधिकारी